By Regd. Post
A/D

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बैतूल (म0प्र0)

क्रमांकः- 0001/पुर्नविलोकन/2017-18/6518 बैतूल दिनांक 26 /05/2018

(85)

प्रति,

माननीय अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर ।

विविध- 3505/2018/बैतूल/भूरा

विषयः- मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा-51 के तहत पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत् ।

-:000:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र क्रमांकः- 130 दिनांक 3-1-2018 द्वारा प्रेषित किए गए पुर्नविलोकन के प्रस्ताव को माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक- पी बी आर/विविध/बैतूल/भूरा/18/0516 में पारित आदेश दिनांक 7-2-2018 द्वारा इस आधार पर अमान्य किया गया है कि, इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0004/अ-6 (अ)/2016-17 मौजा ठेमगाँव में पारित आदेश दिनांक 10-4-2017 को पुर्नविलोकन करने की आवश्यकता व औचित्य का उल्लेख नहीं दर्शाया गया है, तथा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है।

(2)-आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शे का रेखांकन मौके के अनुसार नहीं किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10-4-2017 को पारित किए गए आदेश से वह संतुष्ट नहीं है, वह उक्त आदेश का पुर्नविलोकन चाहता है।

(3)- आवेदक द्वारा इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांकः- 0004/अ-6 (अ)/2016-17 मौजा ठेमगाँव में पारित आदेश दिनांक 10-4-2017 के पुर्नविलोकन हेतु पूर्व में दिनांक 14-11-2017 को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के संबंध में नायब तहसीलदार झल्लार तहसील भैसदेही से प्रतिवेदन आहूत किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि, आवेदक द्वारा अपने पुर्नविलोकन के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मौके पर काबिज अनुसार नक्शा काटा जाना था किन्तु वर्तमान में मेरी कीमती और उपजाउ भूमि मेरे पास से निकल गई है, किन्तु आवेदन पत्र में कोई दिशा का उल्लेख नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार झल्लार का उक्त मत मान्य योग्य प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता का कहना है कि मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शे का रेखांकन नहीं किया गया है, जिसके कारण कीमती और उपजाउ जमीन आवेदक के पास से निकल गई है। अतः इस बिन्दु पर जाँच एवं आवेदक की संतुष्टि के लिए व न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए इस

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/विविध/मूल/ग्वा./2018/3505

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-12-18	आवेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शासकीय अधिवक्ता तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन आदेश 10-4-2017, जिसके विरूद्ध पुनर्विलोकन चाहा गया है, का भी अवलोकन किया गया । उक्त आदेश मूल आदेश है जिसके विरूद्ध पक्षकार को अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति में पक्षकार के आवेदनपर प्रकरण पुनर्विलोकनमें लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है वैसे भी इस संबंध में राजस्व मण्डल के द्वारा पूर्व में विचार किया जाकर दिनांक 7-2-18 को पुनर्विलोकन का प्रस्ताव अमान्य किया जा चुका है । संबंधित पक्षकार मूल आदेश की नियमानुसार अपील करने के लिये स्वतंत्र है । अतः यह विविध प्रकरण अमान्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	